न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 57 /2014

छैलबिहारीदास उम्र 35 वर्ष चेला श्री जानकीदारस उर्फ बृजकिशोर जाति ब्राहमण निवासी हाडौती तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

मूर्ति मदिंर श्री बिहारी जी महाराज वाकै ग्राम हाडौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा वाद मित्र भगवत प्रसाद पुत्र हरीराम एवं प्रकाश पुत्र घन्टोली जातियान बागरी ब्राहमण निवासी हाडौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.09.2008 नायव तहसीलदार उच्चैन बाबत नामान्तरकरण संख्या 1130 वाकै ग्राम हाडौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :–

1–श्री महाराज सिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,

निर्णय

दिनांक 22.09.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन दिनांक 17.09.2008 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

संख्या 1130 ग्राम हाडौली तहसील रूपवास रैस्पो0 के हक में स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1130 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। रैस्पो0 व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई लेकिन वो उपस्थित नहीं आये। अतः बकील अपीलान्ट की एक तरफा में बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्य विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। यह आराजी अपीलान्ट के पूर्वजों की माफी एवं खुदकाश्त की है। पूर्वजों के मरणोपरान्त उत्तराधिकार में मिली है। सेवा माफी होने से इस आराजी पर रैस्पो0 को अधिकार नहीं मिलकर अपीलान्ट के पूर्वज गोरधनदास चेला तुलसीदास को मिले है। गोरधनदास के मरणोपरान्त यह आराजी उनके चेला जानकीदास उर्फ बृजकिशोर को विरासत में मिली है और जानकीदास के मरणोपरान्त उनके एक मात्र चेला व दत्तक पुत्र अपीलान्ट को मिली है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा व हैसियत खातेदार काश्तकार है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनाक 26.06.2008 की पालना में विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। यह आदेश आरम्भ से शून्य है क्योकि रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नियमित वाद खारिज किया जा चुका है इसलिये विवादित आराजी पर कोई अधिकार रैस्पोडेन्ट को नही होते है। मूर्ति मंदिर रैस्पो0 की न तो माफी रही है और न ही खुदकाश्त की आराजी रही है। उन्होन यह भी जाहिर किया कि खेवट खतौनी संवत 1995 जो आरम्भ की राजस्व अभिलेख है, में खाता संख्या 337 पर विवादित आराजी का श्री गोरधनदास चेला तुलसीदास को माफीदार जमीदार खण्ड संख्या 4 में अंकित किया हुआ है और रैस्पोडेन्ट को इस अभिलेख में कोई स्थान नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि नियमित वाद से अपीलान्ट व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

रैस्पोडेन्ट के बीच खातेदार अधिकारों का विवाद तय हो चुका है और अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार माना हैं एवं रैस्पोडेन्ट का दावा खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व कब्जे काश्त की कोई जांच नहीं कराई है और न अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 04.03.2014 को वाद मित्रों उक्त आदेश के संबध में बताया जब जानकारी हुई। दिनांक 05.03.2014 को तहसील में नकल प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 06.03.2014 को नकल प्राप्त की। नकल जारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की है। देरी को माफ करने हेतु दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। नामान्तरकरण सख्या 1130 दिनांक 17.09.2008 में कॉलम संख्या 7 में जानकीदास उर्फ बृजकिशोर चेला गोरधनदास कौम बाबाजी सा.देह खातेदार रहिन भूमि विकास बैंक भरतपुर दर्ज है एवं कॉलम संख्या 9 में मूर्ति मंदिर श्री बिहारी जी महाराज सा. देह खातेदार का अंकन है। विशिष्टियों वाले कॉलम में मुताविक निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 26.06.2008 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का अंकन है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 26.06.2008 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 443 लगायत 460, 674, 688, 700, 734, 742, 779 किता 14 रकवा 26 वीघा 6 विस्वा का रैफरेंस स्वीकार कर उक्त आराजी मंदिर मूर्ति श्री बिहारी जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये है एवं उक्त निर्णय की पालना में ही अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

किया जाना स्पष्ट है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में दर्ज किये जाने के कारण सुनवाई का अवसर नही दिये जाने की दलील स्वीकार योग्य नहीं है यदि अपीलान्ट को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय पर कोई उज्र है तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.09.2008 में हम कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील सारहीन होने के कारण काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति नायव तहसीलदार उच्चैन को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)